



# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- [registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com](mailto:registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com)

Website: [www.msdsu.ac.in](http://www.msdsu.ac.in)

पत्रांक:—21657/कु0का0/2023

दिनांक: 18/09/2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त महाविद्यालय,

सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

**विषय:**—नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन-लाइन संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।


**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कृपया शिक्षा निदेशक,(उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/48539-40/2023-24 दिनांक 15/09/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन-लाइन संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में नेशनल स्कालरशिप के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनका बायो आथेन्टिकेशन नहीं हुआ है, उन छात्रों का अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा संलग्न पत्र के अनुसार दिये गये बिन्दुओं को भली-भांति अवलोकन करते हुए बायोमैट्रिक करवाना है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने महाविद्यालय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


संलग्नक—उक्तवत्

भवदीय

  
(विशेश्वर प्रसाद) 18.09.23  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—**

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक,(उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

  
कुलसचिव

अमाय - 01

ई-मेल द्वारा अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 2937 / अ0सं0क0नि0-1082-एन0एस0पी0-2023-24 / 2023

दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषय: Report on students opting other district for bio-auth and DNO user manual for approval of the student's request for opting other district. का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन पंजीकृत छात्र/छात्रायें किसी कारण से संस्थान से चले गए हैं उनके बायो आथेंटिकेशन उनकी इच्छानुसार उनकी पसंद के जनपद में कराये जाने की व्यवस्था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0एस0पी0 पर कर दी गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की आई0डी0 [nicpmu-nsp@nic.in](mailto:nicpmu-nsp@nic.in) के माध्यम से विषयगत प्रकरण निम्न विवरण संलग्न किये गये हैं:-

1. DNOs' bio-auth status report.
2. DNOs' not done bio-auth but student opted the district for their bio-auth and student count district wise opted for bio-auth (student opted other district than institute district). The details of DNOs who's bio-auth is yet not done is mentioned in the list including the login ids. SNOs may request them to complete their bio-auth.
3. DNOs' can view the student's request for opting other district (district other than institute district) for bio-auth and can approve the same from the option "Approve applicant for bio-auth". The user manual for the same is attached herewith for ready reference.

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ऐसे छात्र/छात्रायें जो कतिपय कारणों से ( उच्च शिक्षा, किसी रोजगार आदि ) संस्थान छोड़ कर चले गये हैं, और जिस जनपद में संस्थान स्थित है उससे निम्न जनपद/राज्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा bio-Auth के विकल्प के रूप में भरा गया है उन छात्रों को उनके द्वारा दिये गये जनपद में bio-Auth करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाय। यदि इस सम्बन्ध में छात्र के अध्ययनरत होने में किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता हो तो उस जनपद (जहाँ संस्थान स्थित है) के डी0एन0ओ0 से समन्वय स्थापित कर छात्र/छात्रा के सम्बन्ध में यथा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः शासकीय कार्यहित में आपको उपरोक्त एस0ओ0पी0 की प्रति जो आपको पूर्व में ही बायो आथेंटिकेशन के अनुश्रवण हेतु बने WhatsApp Group में पोस्ट की जा चुकी है, पुनः संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि कृपया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के उक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( एस0एन0पाण्डेय )

संयुक्त निदेशक/स्टेट नोडल अधिकारी

पत्रांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत सहायक।
3. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों का प्रभावी अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही से स्टेट नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

विकल्प  
amb  
14.9.23

10  
12/9/2023

ई-मेल द्वारा अति आवश्यक

प्रेषक,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश,  
620 इन्दिरा गाना, लखनऊ।

सीधा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 2905 / अ0सं0क0नि0-1082-एन0एस0पी0-2023-24 / 2023 दिनांक 08 सितम्बर, 2023

विषय: नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आन लाइन संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप के बायो आथेन्टिकेशन के सम्बन्ध में वी0सी0 के माध्यम से हुई समीक्षा में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन पंजीकृत छात्र/छात्रायें किसी कारण से संस्थान से चले गए हैं उनके बायो आथेन्टिकेशन उनकी इच्छानुसार उनकी परांद के जनपद में कराये जाने की व्यवस्था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन0एस0पी0 पर कर दी गयी है, का संवेदन ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत ही हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

**STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR BIO AUTHENTICATION OF STUDENTS WHO ARE PRESENTLY RESIDING IN STATE/DISTRICTS OTHER THAN THE STATE/DISTRICT OF HIS INSTITUTION FROM WHERE HE APPLIED FOR SCHOLARSHIP.**

**Step 1: Action on part of Applicant.**

NSP will provide an additional facility to applicants who have not completed their BioAuth and intend to change the District/State for their BioAuth procedure. This option will be visible only to those applicants whose Institute's HOI have completed their BioAuth.

The applicant applied for Scholarship shall login to his NSP Account wherein he will find a link for submitting details for bio authentication in his present district. The link will be mentioned as "Select District for bioAuth".

The applicant will furnish his details in the provided fields and upload required document (Screen shot appended below for reference).

The facility to exercise this option will be provided only once. Hence applicants are advised to choose the option carefully.

**Step 2: Action on Part of DNO**

- The details furnished by applicant under Step 1 will be made available in the NSP login of DNOs pertaining to their district for all MoMA schemes.
- The DNO will check the submissions of applicants and uploaded documents.
- The contact details of the institution whereby the students had applied will also be made available to DNO. In case the DNO require any assistance from institutions, he may call the HOI/INO for verification.

- The DNO will approve the applicants whose cases are found verified based on their submissions and documents.

The DNO concerned than allow bio auth of such applicants. The VLE will intimate bio-Auth sessions for such students only after bio-Auth verification by concerned DNO.

Once the applicants has done his bio-Auth, his application will be moved to INO login of his/her Institute for revalidation. The revalidation of such students shall be doneby INO in consultation with Hof.

This facility shall be used by only those students who has moved out of State/district of his insitutions due

सर्वोपरि

08/9/23

नृपति मिश्रा  
डी0ओ0पी0

12/9/2023

9  
12/9/23  
20

विमल  
14.9.23

ob

3

to compelling reasons (viz. further study, professional engagement). In no case, the SNO/DNO shall allow other applicant to avail this facility.

### Step 3: Action on part of NSP-NIC

- After approval of DNO in step 2, the NIC will send a SMS to concerned applicants stating that "[Application ID]:- Your request to change bioAuth camp location has been approved. Please contact SNO or District Nodal Officer (DNO) of MoMA schemes. Contact details are provided on portal at 'Search Scheme Wise Nodal Officer' under Public Corner"
- NSP will provide the additional information on State and District opted by the applicant to CSC through existing API integration.
- The applicant will get information of SNO in his login for subsequent action/references.
- The NSP will make all necessary arrangement to make the applicant aware that this facility to exercise this option will be provided only once. Alert in Login of the applicant while/before filing opting such request may be popped up.

### Step 4: Action on part of DNO/CSC

- The DNO and CSC based on the nos. of applicants approved by DNO, will organize special camp for such students.
- DNO will download list of approved applicants from his NSP Login and will hand over it to CSC.
- CSC will ensure that duly approved applicants may be allowed for bioAuth on BAU Portal from the district approved by DNO. CSC will also ensure that the process of applicants' BioAuth at his opted district will be initiated only after the biometric authentication of DNO on BAU Portal.
- CSC will be responsible to ensure that registered VLE of the additional district will verify the application in presence of the DNO concerned.

अतः शासकीय कार्यक्षेत्र में आपको उपरोक्त एसओपी की प्रति जो आपको पूर्व में ही बायो आथेंटिकेशन के अनुश्रवण हेतु बने WhatsApp Group में पोस्ट की जा चुकी है, की प्रति संलग्न निर्देशित किया जाता है कि कृपया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( एसओएनओपाण्डेय )

संयुक्त निदेशक/स्टेट नोडल अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत सहायक।
3. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों का प्रभावी अनुश्रवण कर कृत कार्यवाही से स्टेट नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से भी सभी समस्त सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

( एसओएनओपाण्डेय )

संयुक्त निदेशक/स्टेट नोडल अधिकारी